भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2866

उत्तर देने की तारीख- 22/12/2021

जनजातीय उप-योजनाओं के लिए निधि का आवंटन किया जाना

2866. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(ग) क्या सरकार की जनजातीय लोगो की जनसंख्या के अनुपात में उप-योजनाओं के लिए निधि आवंटित करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) और (ख): जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) राज्य सरकारों का एक बजटीय घटक है जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्यों में एसटी की आबादी के अनुपात में धन आवंटित किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा राज्य टीएसपी के रूप में आवंटित निधि की राशि **अनुलग्नक 1** में है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की योजनाओं के लिए, अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) वाले राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। अनुमोदन के बाद राज्यों को निधियां जारी करने के लिए ऐसी परियोजनाओं पर संबंधित योजना (योजनाओं) में निधि की उपलब्धता, स्कीम के मानदंडों, राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट (पीपीआर) की प्रस्तुति और प्रचलित अन्य प्रासंगिक वित्तीय अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता' (टीएसएस को एससीए) और 'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान' योजना के तहत राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पिछले दो वर्षों अर्थात 2019-20 और 2020-21 के दौरान 'टीएसएस को एससीए' और 'संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' योजना के तहत राज्यों को जारी निधि का विवरण **अनुलग्नक 2** पर है।

(ग) से (ड.): मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, टीएसपी के तहत निधियों को राज्यों द्वारा उनके कुल योजना परिव्यय में से विनिर्दिष्ट/आवंटित किया जाना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एसटी के जनसंख्या अनुपात से कम नहीं हो और अनुसूचित जनजाति आबादी की समस्या हिस्सेदारी के अनुरूप हो।

अनुलग्नक - I

'जनजातीय उप-योजनाओं के लिए निधि का आवंटन किया जाना' के संबंध में दिनांक 22.12.2021 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के भाग (क) और (ख) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक - I

राज्य जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत राज्यों द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का% (2011)	वित्तीय वर्ष 2019-20				
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन का %	टीएसपी व्यय	व्यय का%
1	आंध्र प्रदेश	5.3	92696.81	4988.53	5.38	3281.46	65.78
2	अंडमान और निकोबार	7.5	5029.16	130.03	2.59	127.65	98.17
3	असम	12.4	25186.00	2056.32	8.16	1965.05	95.56
4	बिहार	1.3	102977.40	1194.28	1.16	1126.97	94.36
5	छत्तीसगढ	30.6	76546.17	22012.66	28.76	16422.09	74.60
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	33.0	प्राप्त नहीं	12.41	लागू नहीं	12.41	100.00
7	गोवा	10.2	19548.69	454.28	2.32	227.86	50.16
8	गुजरात	14.8	106308.00	14567.00	13.70	12809.00	87.93
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	7100.00	639.00	9.00	639.00	100.00
10	झारखंड	26.2	49142.62	20886.15	42.50	16312.27	78.10
11	कर्नाटक	7.0	234153.00	7879.11	3.36	7227.59	91.73
12	केरल	1.5	30610.00	866.26	2.83	504.36	58.22
13	मध्य प्रदेश	21.1	139774.64	33466.66	23.94	26980.30	80.62
14	महाराष्ट्र	9.4	99000.00	8531.00	8.62	6833.55	80.10
15	ओडिशा	22.8	46380.13	7374.29	15.90	6022.73	81.67
16	राजस्थान	13.5	111080.15	14981.24	13.49	13819.01	92.24
17	सिक्किम	33.8	637.34	2.63	0.41	1.51	57.41
18	तमिलनाडु	1.1	56849.96	1277.84	2.25	1015.84	79.50
19	तेलंगाना	9.3	75263.24	7184.87	9.55	6357.84	88.49
20	त्रिपुरा	31.8	6205.25	2772.42	44.68	1794.55	64.73
21	उत्तर प्रदेश	0.6	526809.21	1027.01	0.19	823.37	80.17
22	उत्तराखंड	2.9	51145.29	516.54	1.01	302.93	58.65
23	पश्चिम बंगाल	5.8	89329.48	6287.53	7.04	5303.00	84.34
कुल		लागू नहीं	1951772.54	159108.06	8.15	129910.34	81.65

एएलएन: आवंटन, ईएक्सपी: व्यय, एनआर: प्राप्त नहीं हुआ, एनए: लागू नहीं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का% (2011)	वित्तीय वर्ष 2020-21#				
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन का %	टीएसपी व्यय	व्यय का%
1	आंध्र प्रदेश	5.3	104063.25	6570.16	6.31	4731.91	72.02
2	अंडमान और निकोबार	7.5	3904.30	116.01	2.97	114.72	98.89
3	असम	12.4	37827.00	1614.43	4.27	1086.89	67.32
4	बिहार	1.3	108210.00	1049.18	0.97	868.38	82.77
5	छत्तीसगढ	30.6	95438.85	20919.60	21.92	4627.71	22.12
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	33.0	प्राप्त नहीं	17.45	लागू नहीं	0.71	4.05
7	गोवा	10.2	10873.18	453.39	4.17	183.06	40.38
8	गुजरात	14.8	110529.00	14106.00	12.76	11120.53	78.84
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	7900.00	711.00	9.00	प्राप्त नहीं	लागू नहीं
10	झारखंड	26.2	48924.94	20201.43	41.29	1119.87	5.54
11	कर्नाटक	7.0	237893.00	7805.50	3.28	4712.78	60.38
12	केरल	1.5	27610.00	781.36	2.83	733.40	93.86
13	मध्य प्रदेश	21.1	99029.67	24261.29	24.50	14993.91	61.80
14	महाराष्ट्र	9.4	108000.00	8853.00	8.20	7415.42	83.76
15	ओडिशा	22.8	79974.26	14423.83	18.04	10647.59	73.82
16	राजस्थान	13.5	112362.73	15545.68	13.84	13784.39	88.67
17	सिक्किम	33.8	818.43	1.00	0.12	0.76	76.00
18	तमिलनाडु	1.1	64255.97	1299.47	2.02	1155.51	88.92
19	तेलंगाना	9.3	104612.62	9771.28	9.34	3583.12	36.67
20	त्रिपुरा	31.8	6529.34	2573.98	39.42	777.22	30.20
21	उत्तर प्रदेश	0.6	544454.24	1195.14	0.22	1163.78	97.38
22	उत्तराखंड	2.9	53526.97	498.64	0.93	36.34	7.29
23	पश्चिम बंगाल	5.8	95203.74	8211.59	8.63	4338.17	52.83
कुल		लागू नहीं	2061941.51	160980.40	7.81	87196.17	54.17

एएलएन: आवंटन, ईएक्सपी: व्यय, एनआर: प्राप्त नहीं हुआ, एनए: लागू नहीं

#अनंतिम आंकड़े

अनुलग्नक - 2

'जनजातीय उप-योजनाओं के लिए निधि का आवंटन किया जाना' के संबंध में दिनांक 22.12.2021 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के भाग (क) और (ख) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक - 2

'टीएसएस को एससीए' की स्कीम के तहत 2019-20 से 2020-21 के दौरान निर्मुक्त की गई निधि और राज्यों द्वारा प्रस्तुत तत्संबंधी उपयोगिता रिपोर्ट का विवरण

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**
		कुल निर्मुक्ति	**कुल निर्मुक्ति**
1.	आंध्र प्रदेश	12470.50	4954.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	9224.29	7015.50
3.	असम	2710.08	4578.76
4.	बिहार	0.00	994.00
5.	छत्तीसगढ	9415.53	8769.06
6.	गोवा	0.00	724.26
7.	गुजरात	8975.55	10786.40
8.	हिमाचल प्रदेश	2394.18	1367.00
9.	जम्मू और कश्मीर	4509.00	0.00
10.	झारखंड	6201.49	7049.64
11.	कर्नाटक	7434.00	0.00
12.	केरल	0.00	459.15
13.	मध्य प्रदेश	13415.25	0.00
14.	महाराष्ट्र	11929.09	0.00
15.	मणिपुर	1434.02	0.00
16.	मेघालय	3788.00	328.25
17.	मिजोरम	3140.00	1236.22
18.	नागालैंड	2951.12	2846.14
19.	ओडिशा	8691.18	9010.42
20.	राजस्थान	11461.41	8662.66
21.	सिक्किम	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	450.56	377.47
23.	तेलंगाना	5361.29	4191.00
24.	त्रिपुरा	1362.97	1173.30
25.	उत्तराखंड	600.00	757.80
26.	उत्तर प्रदेश	779.91	508.83
27.	पश्चिम बंगाल	5862.58	3746.00
	कुल	**134562.00**	**79536.82**

'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान' के अंतर्गत 2019-20 से 2020-21 के दौरान जारी निधि व राज्यों द्वारा प्रस्तुत तत्संबंधी उपयोगिता रिपोर्ट का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20*	2020-21
		निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि
1.	आंध्र प्रदेश	8942.43	2055.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	13202.25	6014.00
3.	असम	10802.85	4592.37
4.	बिहार	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ	22500.77	9976.24
6.	गोवा	0.00	0.00
7.	गुजरात	16833.88	5940.04
8.	हिमाचल प्रदेश	5314.70	1161.00
9.	जम्मू और कश्मीर	5410.00	0.00
10.	झारखंड	11166.77	10278.00
11.	कर्नाटक	10435.46	3305.68
12.	केरल	633.29	0.00
13.	मध्य प्रदेश	44938.92	4279.78
14.	महाराष्ट्र	23136.70	4573.16
15.	मणिपुर	6151.91	0.00
16.	मेघालय	4799.53	492.71
17.	मिजोरम	6598.83	1909.71
18.	नागालैंड	6802.11	1717.38
19.	ओडिशा	15110.66	6304.62
20.	राजस्थान	15586.19	9166.00
21.	सिक्किम	3175.35	516.00
22.	तमिलनाडु	6356.07	0.00
23.	तेलंगाना	9973.28	2517.00
24.	त्रिपुरा	2952.63	201.74
25.	उत्तर प्रदेश	2760.71	927.426
26.	उत्तराखंड	428.37	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	12127.17	4041.14
	कुल	266140.83	79969.546

* वर्ष 2019-20 तक अनुच्छेद 275(1) के तहत ईएमआरएस के लिए निधियां जारी की गई थी।

*****